[2019] 1 एस. सी. आर. 862

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान

वी.

संजीव चतुर्वेदी और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 1392)

फरवरी 1,2019

[आर. भानुमति और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985। 5 , 24 और 25-न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, अकेले बैठे और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए

एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरण कार्यवाही, दो सदस्यीय पीठ के समक्ष लंबित मूल आवेदन में कार्यवाही पर रोक लगा दी और उस पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को निष्क्रिय कर दिया।

स्थिरता-आयोजितः अध्यक्ष अकेले बैठकर, एक बड़ी पीठ द्वारा पारित आदेशों को रद्द नहीं कर सकते हैं-अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश या अधीनस्थ न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की तरह, प्रोटोकॉल के क्रम में उच्च हो सकते हैं और उनके पास अतिरिक्त आदेश हो सकते हैं।

प्रशासनिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, हालांकि, अध्यक्ष, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए, किसी भी अन्य सदस्य के बराबर है-अध्यक्ष, बराबर के बीच एक होने के नाते, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के आदेश पर रोक है।

दो सदस्यीय पीठ के समक्ष कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना और कानून में अस्थिर थी।

न्यायिक स्वामित्व-आयोजित किए जाने वाले मानदंडः न्यायिक औचित्य और शिष्टाचार की मांग है कि एक न्यायिक आदेश, अंतरिम, अंतरिम या अंतिम को खाली किया जाए, परिवर्तित किया जाए, संशोधित किया जाए, वापस लिया जाए या समन्वित शक्ति या बड़ी शक्ति या उच्च मंच की पीठ द्वारा समीक्षा की जाए, लेकिन कम शक्ति की एक छोटी पीठ द्वारा नहीं, सिवाय उन मामलों के जहां एक निचले मंच और/या छोटी पीठ को ऐसा अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है या आदेश में निहित है जिसे खाली करने, विविध, संशोधित, वापस लेने या समीक्षा करने की मांग की गई है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, अकेले बैठता है और प्रशासनिक की धारा 25 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है

एक पीठ से दूसरी पीठ में कार्यवाही स्थानांतरित करने के लिए न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985, दो सदस्यीय पीठ के समक्ष कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकता था और उस पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश दे सकता था निष्क्रिय। [पैरा 40] [875-ई-एफ]

2. अपीलार्थी के वकील द्वारा अधिनियम की प्रस्तावना के प्रति निर्देश की कोई प्रासंगिकता नहीं है। प्रत्यर्थी नं. 1

उसकी शिकायतों के निवारण के लिए न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। उनके मामले की सुनवाई एक खंड पीठ ने की और एक तर्कपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया गया। प्रस्तावना, जो अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को बताती है, अपीलार्थी के लिए कोई सहायता नहीं है, क्योंकि यह अपीलार्थी के इस तर्क का समर्थन नहीं करती है कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अकेले एक खंड पीठ के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगा सकते थे। प्रस्तावना पर रखी गई निर्भरता गलत धारणा है। [पैरा 47] [876-जी-एच; 877-ए-बी]

3.1 धारा 5 में प्रावधान है कि एक न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और इतनी संख्या में न्यायिक और प्रशासनिक लोग शामिल होंगे।

सदस्य जो उपयुक्त सरकार उचित समझे और अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, न्यायाधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग उसकी पीठों द्वारा किया जा सकता है। उप-धारा 2 में प्रावधान है कि एक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होना चाहिए। हालाँकि, यह उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन है। न्यायाधिकरण का अध्यक्ष न्यायाधिकरण से अलग एक इकाई है और प्रशासनिक शक्तियों और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करता है जो स्पष्ट रूप से हैं।

अधिनियम के तहत उसे प्रदान किया गया। अधिनियम की धारा 5 (4) (ए) अध्यक्ष को कार्यों के अलावा निर्वहन करने का अधिकार देती है।

न्यायिक सदस्य या उस न्यायपीठ के प्रशासनिक सदस्य के, जिसमें वह नियुक्त किया जाता है, न्यायिक सदस्य या किसी अन्य न्यायपीठ के प्रशासनिक सदस्य के कार्य। [पारस 49,50] [879-ई-जी]

3.2 धारा 5 (4) (बी) अध्यक्ष को एक सदस्य को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने का अधिकार देती है, और धारा 5 (4) (सी)

अध्यक्ष को न्यायिक सदस्य या एक पीठ के प्रशासनिक सदस्य को किसी अन्य पीठ के न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करने में सक्षम बनाता है। सभापति सामान्य या विशेष आदेश जारी करके शामिल मामलों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दो से अधिक सदस्यों की पीठों का गठन भी कर सकता है। आदेश देते हैं। धारा 5 की उप-धारा (6) अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य सदस्य को केवल ऐसे वर्गों के मामलों या ऐसे वर्गों के मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में न्यायाधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग करने के लिए अकेले बैठने का अधिकार देती है जो अध्यक्ष सामान्य या विशेष [2019] 1 एस. सी. आर. द्वारा कर सकता है।

आदेश निर्दिष्ट करते हैं। उपरोक्त प्रावधान अध्यक्ष को अकेले बैठकर एक बड़ी पीठ द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने में सक्षम नहीं बनाता है। [पारस 51,55] [879-जी-एच; 880-ए-बी, एफ] 3.3 अधिनियम की धारा 5 (सी) के प्रावधान में कहा गया है कि यदि ऐसे किसी मामले या मामले की सुनवाई के किसी भी चरण में ऐसा प्रतीत होता है -

अध्यक्ष या एकल रूप से कार्य करने वाला सदस्य कि मामला या

मामला ऐसी प्रकृति का है कि इसकी सुनवाई दो सदस्यों वाली पीठ द्वारा की जानी चाहिए, मामले या मामले को अध्यक्ष द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, या, जैसा भी मामला हो, ऐसी पीठ को स्थानांतरित करने के लिए उसे भेजा जा सकता है जिसे अध्यक्ष उचित समझे। [पैरा 53] [880-सी-डी] 4.1 अधिनियम की धारा 24 अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति को सीमित करती है, चाहे वह निषेधाज्ञा, स्थगन या अन्यथा इस तरह की शक्ति के प्रयोग पर शर्तें लागू करके हो। कोई अंतरिम आदेश तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि अंतरिम आदेश के लिए याचिका के समर्थन में दस्तावेजों के साथ आवेदन की प्रतियां उस पक्ष को प्रस्तुत नहीं की जाती हैं जिसके खिलाफ ऐसा आवेदन किया जाता है और ऐसे पक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है। उक्त शर्त को केवल असाधारण मामलों में ही समाप्त किया जा सकता है, यदि न्यायाधिकरण लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक को किसी भी नुकसान को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है जिसकी पर्याप्त रूप से धन में भरपाई नहीं की जा सकती है। ऐसे मामले में अंतरिम आदेश अधिकतम चौदह दिनों की अवधि का होना चाहिए जब तक कि चौदह दिनों की समाप्ति से पहले उप-धारा (ए) और (बी) की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है और अंतरिम आदेश है -

सी. ए. टी. के अध्यक्ष। ऐसी शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या पक्षकारों को नोटिस देने के बाद किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और उनके बारे में सुनने के बाद किया जाना है, जो वह सुनना चाहता है। सभापति, अपने प्रस्ताव पर, एक पीठ के समक्ष लंबित किसी भी मामले को दूसरे में स्थानांतरित कर सकता है। नोटिस करें। अधिनियम की धारा 25 को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि अध्यक्ष इस प्रश्न का निर्णय करते हुए कि क्या किसी मामले को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, कार्यवाही पर अंतरिम रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि उन्हें उक्त धारा के तहत अध्यक्ष को इस तरह की अंतरिम रोक पारित करने की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

4.3 अधिनियम के तहत बनाया गया एक न्यायाधिकरण और इसके अध्यक्ष भी अधिनियम से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं और केवल ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो अधिनियम द्वारा प्रदत्त हैं। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अधिनियम की धारा 25 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य नहीं करता है। कैट के अध्यक्ष के पास धारा 25 के तहत न्यायाधिकरण की पीठ के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति नहीं है। [पैरा 61] [881-एफ-जी]

4.4 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम और विशेष रूप से इसकी धारा 14 और 15 के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक अध्ययन।

संविधान के अनुच्छेद 323 ए के साथ संयोजन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि संविधान के अनुच्छेद 323 ए को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम के तहत गठित एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के प्रारंभ से पहले सभी न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी अधिकारिता शक्तियों और प्राधिकरण का प्रयोग करता है और इसमें न्यायालय के सभी गुण होते हैं, सिवाय इसके कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता में सन्निहित प्रक्रिया के सख्त नियमों या सख्त नियमों से बाध्य नहीं है।

साक्ष्य अधिनियम द्वारा निर्धारित साक्ष्य के नियम। न्यायिक औचित्य और न्यायिक अनुशासन के सभी मानदंड न्यायाधिकरण पर उतने ही लागू होते हैं जितने उच्च न्यायालय सहित न्यायालयों पर लागू होते हैं। [पैरा 62] [881-जीएच; 882-ए-बी]

4.5 एक न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक न्यायिक आदेश सभी संबंधित लोगों के लिए बाध्यकारी है, जिसमें स्वयं न्यायाधिकरण अपने प्रशासनिक पक्ष में भी शामिल है, जब तक कि किसी उच्च मंच द्वारा अलग या संशोधित नहीं किया जाता है।

अपीलीय या पुनरीक्षण शक्तियाँ। किसी भी परिस्थिति में, न्यायाधिकरण की पीठ के न्यायिक आदेश को उसके अध्यक्ष द्वारा रद्द या निरर्थक नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 63] [882-सी]

4.6 अधिनियम की धारा 12 को देखते हुए, न्यायाधिकरण का अध्यक्ष केवल वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है

पीठों पर जो नियमों के तहत निहित हो सकते हैं। अध्यक्ष इस प्रकार, पीठों का गठन कर सकता है, सदस्यों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर सकता है, एकल पीठों, खंड पीठों और इससे भी बड़ी पीठों का गठन कर सकता है, पीठों को व्यवसाय आवंटित कर सकता है और यहां तक कि मामलों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन [2019] 1 एस. सी. आर.

इसलिए वह पीठों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है या स्थानांतरण याचिका में अंतरिम आदेश पारित करके उसके आदेशों में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। [पैरा 64] [882-डी-ई]

4.7 किसी भी मामले में, न्यायिक शिष्टाचार और औचित्य की मांग है कि एक न्यायिक आदेश, अंतरिम, अंतरिम या अंतिम को खाली किया जाए, परिवर्तित किया जाए, संशोधित किया जाए, वापस लिया जाए या समन्वित शक्ति की पीठ द्वारा समीक्षा की जाए।

या बड़ी ताकत या एक उच्च मंच, लेकिन एक छोटी बेंच नहीं

कम शक्ति, उन मामलों को छोड़कर जहां एक निचले मंच और/या छोटी पीठ को ऐसा अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है या आदेश में निहित है जिसे खाली करने, परिवर्तित करने, संशोधित करने, वापस लेने या समीक्षा करने की मांग की गई है। [पैरा 65] [882-ई-एफ]

4.8 न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश एक पूर्ववर्ती के रूप में कार्य नहीं करता है और उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून

अधिक संख्या वाली पीठों के निर्णयों के पूर्ववर्ती मूल्य को ध्यान में रखते हुए तथ्यों में एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में काम नहीं कर सकते हैं और

तत्काल मामले की परिस्थितियाँ। पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्दिष्ट निर्णयों में न्यायिक शिष्टाचार और औचित्य के मानदंड निर्धारित किए गए हैं जो उच्च न्यायालयों की पीठों को प्राथमिकता देते हैं।

4.9 एक अदालत द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश, एक आवेदक द्वारा बनाए गए प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करने पर, सामान्य रूप से होना चाहिए। आवेदक को खुला नोटिस देने के बाद समन्वय शक्ति की पीठ द्वारा खाली किए गए हैं। यदि अध्यक्ष की यह सुविचारित राय थी कि अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए आवेदन में तात्कालिकता थी, तो अध्यक्ष को यह कार्य सौंपा जाना चाहिए था -

अंतरिम आदेश को खाली करने और/या छुट्टी देने के लिए आवेदन

दो या दो से अधिक सदस्यों की पीठ इस बात पर विचार करेगी कि अंतरिम आदेश जारी रहना चाहिए या खाली किया जाना चाहिए। सभापति बिना पूर्व सूचना के स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही को दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने की अपनी शक्ति का भी प्रयोग कर सकता था। नैनीताल पीठ के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना है और कानून में अस्थिर है। [पैरा 68] [883-डी-ई]

4.10 डिवीजन बेंच ने रिट याचिका को सही मंजूरी दी। अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की तरह या अधीनस्थ न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के क्रम में उच्चतर हो सकते हैं।

कानून में। लागत रुपये में निर्धारित की गई। 25,000 / - के भीतर सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के साथ जमा करने का निर्देश दिया गया निर्धारित अवधि। [पारस 73,74] [885-डी-ई]

मुन्ना लाल करोसिया बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (2012) 12 एस. सी. सी. 255; कृत्रिम संघ

फाइबर इंडस्ट्रीज बनाम। अपोलो टायर्स लिमिटेड और अन्य

(2010) 13 एससीसी 735-प्रतिष्ठित।

डॉ. महाबल राम बनाम भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान और अन्य (1994) 2 एस. सी. सी. 401; एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य। (1997) 3 एससीसी 261: [1997] 2 एस. सी. आर. 1186; रामरामेश्वरी देवी और अन्य। वी. निर्मला देवी और अन्य। (2011) 8 एससीसी 249: [2011] 8 एससीआर 992; किशोरभाई गंडुभाई पेथानी बनाम। गुजरात राज्य और अन्र। (2014) 13 एससीसी 539: [2013] 10 एस. सी. आर. 208; किशोर समरिते बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2013) 2 एससीसी 398: [2012] 9 एस. सी. आर. 733; प्रेस्टीज लाइट्स लिमिटेड बनाम भारतीय स्टेट बैंक (2007) 8 एससीसी 449: [2007] 9 एससीआर

112 ; वट्टीचेरुकुरु ग्राम पंचायत बनाम। नोरी

वेंकटरामा दीक्षितुलु और ओआरएस। (1991) सप. 2

फंड वी। कार्तिक दास (1994) 4 एससीसी 225: [1994] 1 पूरक। एससीआर 136; भारत संघ और ए. एन. आर. वी. के. एस. सुब्रमण्यन (1976) 3 एस. सी. सी. 677: [1977] 1 एस. सी. आर. 87; भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। मुंबई श्रमिक संघ और अन्य। (2001) 4 एससीसी 448: [2001] 3 एस. सी. आर. 208-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(1994) 2 एस. सी. सी. 401

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[1997] 2 एससीआर 1186

संदर्भित किया गया है

पै

रा 28

[2011] 8 एससीआर 992

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[2013] 10 एससीआर 208

पै

रा 36

[201

9] 1 एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2012] 9 एससीआर 733

पै

रा 36

संदर्भित किया गया है

[2007] 9 एससीआर 112

संदर्भित किया गया है

पै

रा 36

(2012) 12 एससीसी 255

विशिष्ट पैरा 38

विशिष्ट पैरा 38

(2010) 13 एससीसी 735

[1991] 2 एससीआर 531

संदर्भित किया गया है

पै

रा 42

[1994] 1 पूरक। एससीआर 136

संदर्भित किया गया है

पै

रा 61

[1977] 1 एससीआर 87

पै

रा 66

संदर्भित किया गया है

[2001] 3 एससीआर 208

संदर्भित किया गया है

पै

रा 66

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1392

2019 से।

उच्च न्यायालय के 21.08.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के डब्ल्यू. पी. एस. बी. सं. 359 में नैनीताल में उत्तराखंड राज्य सरकार।

दुष्यंत पाराशर, महमूद प्राचा, हिमांशु शेखर, आर. एच. ए.

सिकंदर, जेम्स कुमार, मोहम्मद। दानिश, सुश्री साधना संधू, मुकुल सिंह, जी. एस. मक्कर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था इंदिरा बनर्जी, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील अंतिम निर्णय और दिनांकित आदेश के खिलाफ है।

21.08.2018 नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने प्रत्यर्थी सं. द्वारा दायर 2018 की डब्ल्यू. पी. एस. बी. No.359 रिट याचिका को अनुमति देते हुए पारित किया। 1 और दिल्ली की प्रधान पीठ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (इसके बाद "कैट" के रूप में संदर्भित) के अध्यक्ष द्वारा पारित दिनांक 18.09.2017 के आदेश को रद्द करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी सं. 1 और नैनीताल में कैट की एक खंड पीठ के समक्ष लंबित है।

3. प्रत्यर्थी नं. 1 , एक भारतीय वन सेवा अधिकारी

2002 बैच के उत्तराखंड कैडर को उप सचिव के रूप में तैनात किया गया था

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली 29.6.2012 से 28.6.2016 तक।

4. उप सचिव का उक्त पद अनुमोदन के साथ बनाया गया था

व्यय विभाग, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थानों का उपयोग करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समन्वय और प्रबंधन करना और उन्हें समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना।

संजीव चतुर्वेदी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

अनुशासन विशेषज्ञ। 5. आई. डी. 1 पर आयोजित अपनी 195 वीं बैठक में संस्थान की स्थायी वित्त समिति ने एक नए पद के सृजन के खिलाफ निर्णय लिया।

केंद्रीय सतर्कता अधिकारी ने संकल्प लिया कि केंद्रीय सतर्कता अधिकारी का काम भी एम्स के उप सचिव के नवनिर्मित पद पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए। शासी निकाय और संस्थान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एम्स के निकाय ने स्थायी वित्त समिति के निर्णय की पुष्टि की।

6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांकित 23.6.2011 का एक आदेश जारी किया गया था जिसमें उक्त पद से संबंधित कर्तव्यों की गणना की गई थी

एम्स के उप सचिव। 7. जैसा कि ऊपर बताया गया है, उत्तरदाता नं। 1 29.6.2012 पर एम्स का उप सचिव नियुक्त किया गया था। कार्य आवंटन आदेश के अनुसार प्रतिवादी नं। 1 एम्स का केंद्रीय सतर्कता अधिकारी भी बनाया गया था।

8. यह प्रतिवादी नं. का मामला है। 1 कि सामान्य अनुभाग का कार्य प्रत्यर्थी सं. 1 नवंबर 2012 में,

अगस्त 2014 में केंद्रीय सतर्कता अधिकारी का काम उनसे वापस ले लिया गया, शिकायतों से निपटने का काम उनसे वापस ले लिया गया

2015 में कुछ समय और दिसंबर 2015 में एस्टेट अनुभाग का काम उनसे वापस ले लिया गया था। अंततः प्रतिवादी नं। 1 छोड़ दिया गया था

पेंशन के कागजात पर हस्ताक्षर करने और अतिथि गृहों की बुकिंग के अलावा व्यावहारिक रूप से बिना किसी काम के।

उत्तरदाता नं। 1 लगातार कार्यालय आदेशों द्वारा कर्तव्यों से वंचित किया गया था, संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में गंभीर आलोचना की गई थी। 10. प्रत्यर्थी के अनुसार नहीं। 1 , उस समय जब उन्हें केंद्रीय सतर्कता अधिकारी का काम सौंपा गया था, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव

उन्होंने उनके "अनुकरणीय प्रदर्शन" और "पूर्ण अखंडता" पर टिप्पणी की थी। इसके अलावा, प्रतिवादी नं। 1 तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए अपनी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में 'उत्कृष्ट' के रूप में वर्गीकृत किया गया था "श्री संजीव चतुर्वेदी, उप सचिव और सी. वी. ओ, एम्स, नई दिल्ली, एक ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति हैं, जो बिना किसी डर या पक्षपात के अपनी क्षमता और ज्ञान के अनुसार अपनी निर्धारित भूमिका निभाने के लिए उत्सुक हैं"।

19] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. प्रत्यर्थी नं. 1 उनकी अनुकरणीय सत्यनिष्ठा, साहस के लिए वर्ष 2015 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दृढ़ता, अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक कार्यालय में भ्रष्टाचार को बिना किसी समझौते के उजागर करने और बड़ी मेहनत से जांच करने में। अभिलेख से पता चलता है कि

विज्ञान ने कम विशेषाधिकार प्राप्त रोगियों के मुफ्त इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को पुरस्कार राशि के उनके दान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 12. प्रत्यर्थी के अनुसार नहीं। 1 , संस्थान के केंद्रीय सतर्कता अधिकारी के रूप में उनके दो साल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ किसी भी कर्मचारी से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली थी। हालाँकि, वही व्यक्ति, जिन्होंने पहले उत्तरदाता की प्रशंसा की थी। 1 बाहरी कारणों से उनके खिलाफ हो गए, विशेष रूप से भ्रष्टाचार को उजागर करने में उनकी भूमिका।

13. व्यथित होने के कारण, प्रतिवादी नं। 1 दिल्ली में कैट की प्रधान पीठ के समक्ष 2015 का ओ. ए. No.1887 होने के नाते एक आवेदन दायर किया गया,

अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्यर्थी को उप सचिव का कार्य आवंटित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए सं. 1 . उक्त आवेदन को 17.5.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। 14. प्रत्यर्थी नं. 1 आरोप लगाया है कि केंद्रीय सतर्कता अधिकारी के कर्तव्यों को उनसे वापस ले लिया गया था क्योंकि उन्होंने खुलासा किया था

विज्ञान ने उत्तरदाता की अवज्ञा, अनुशासनहीनता और कार्य नैतिकता की कमी पर अपनी नाराजगी दर्ज की थी। 1 वर्ष 2015 में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान, और निर्देश दिया कि उक्त ज्ञापन की एक प्रति प्रतिवादी नं. 1 . प्रत्यर्थी सं. द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1 उपरोक्त ज्ञापन के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। 16. व्यथित होने के कारण, प्रतिवादी नं। 1 नई दिल्ली में कैट की प्रधान पीठ के समक्ष 2016 का ओए No.1342 दायर किया गया

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान v लिखने से रोकने के आदेश के लिए प्रार्थना करते हुए उक्त ज्ञापन दिनांक 7.1.2016।

संजीव चतुर्वेदी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

प्रत्यर्थी की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट सं। 1 . उक्त आवेदन लंबित है। आवेदन दायर किए जाने पर, विद्वत न्यायाधिकरण ने नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, लेकिन प्रतिवादी नं. 1 अंतरिम राहत के लिए।

17. 28.6.2016 पर, प्रत्यर्थी की चार साल की प्रतिनियुक्ति सं। 1 एम्स में उप सचिव के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और वे अपने नए संस्थान में शामिल हो गए

दो महीने की छुट्टी लेने के बाद अगस्त, 2016 में उत्तराखंड में पद। 18. दिनांक 11.1.2017 के एक आदेश द्वारा एम्स ने प्रतिवादी को वर्ष 2015-2016 के लिए एक प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भेजी।

नहीं। 1 जिसमें उन्हें सभी विशेषताओं में समान रूप से 'शून्य' श्रेणी दी गई थी। 23.1.2017 पर, प्रत्यर्थी नं. 1 सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दिनांकित 11.1.2017 आदेश के खिलाफ अपील दायर की। याचिका खारिज कर दी गई

19. 19.6.2017 पर, प्रत्यर्थी नं. 1 उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 का डब्ल्यू. पी. एस. बी. No.225 होने को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की गई। दिनांकित आदेश 11.1.2017 और 15/20.4.2017। प्रत्यर्थी नं. 1 ओ. ए. सं. 1342/2016 में पी. टी. No.286/2017 होने के कारण भी एक आवेदन दायर किया गया था।

दिल्ली में कैट की प्रधान पीठ को दिल्ली में कैट की प्रधान पीठ से नैनीताल में उसकी पीठ में ओ. ए. संख्या 1342/2016 के हस्तांतरण के लिए दिल्ली में कैट की प्रधान पीठ। अपीलार्थी ने उक्त आवेदन पर जवाबी हलफनामा दायर किया है।

20. 2017 की डब्ल्यू. पी. एस. बी. No.225 रिट याचिका में दिनांकित 19.6.2017 के एक आदेश द्वारा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रतिवादी नं. 1 प्रशासनिक के तहत न्यायाधिकरण से संपर्क करना

न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (संक्षेप में 'अधिनियम') और उसके लिए उपलब्ध सभी राहतों की मांग करना। प्रत्यर्थी नं. 1 पहुँचने की स्वतंत्रता दी गई थी

उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा मांगी गई किसी भी राहत की स्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था।

21. इसके बाद, प्रतिवादी नं। 1 कैट की नैनीताल पीठ के समक्ष ओ. ए. No.331/0790/2017 के रूप में एक आवेदन दायर किया गया जिसे चुनौती दी गई।

वर्ष की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए. पी. ए. आर.) 2015-16 जिसके बाद प्रत्यर्थी सं. 1 न्यायाधिकरण की एक खंड पीठ द्वारा 18.9.2017 पर, वह कार्यात्मक भाग जिसके बारे में नीचे बताया गया हैः

" मामले को 03.10.2017 पर अंतरिम राहत पर आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया जाए। उत्तरदाता उक्त के समक्ष अपना जवाब दाखिल करेंगे।

तिथि. इस बीच, न्याय के हित में, यह निर्देश दिया जाता है कि [2019] 1 एस. सी. आर.

यदि आवेदक के कैरियर की प्रगति से संबंधित कोई मामला आक्षेपित आदेशों की शर्तों से पहले विचार के लिए आता है, तो मूल्यांकन और आवेदक की उपयुक्तता या योग्यता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा

उसके बाकी ए. सी. आर. एस./ए. पी. ए. आर. के आधार पर।

22. भारत संघ ने न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष पी. टी. 316/2017 के रूप में एक आवेदन दायर किया जिसमें ओ. ए. नं. 331/00790/2017 दिल्ली में प्रधान पीठ को। एकतरफा आदेश से

उक्त स्थानांतरण आवेदन में पारित दिनांक 18.9.2017 पर, कैट के अध्यक्ष ने अकेले बैठकर नैनीताल में दो सदस्यीय पीठ के समक्ष लंबित OA No.331/00790/2017 में कार्यवाही पर छह की अवधि के लिए रोक लगा दी।

23. उपरोक्त आदेश को इस आधार पर चुनौती देते हुए कि कैट के अध्यक्ष अकेले बैठकर पहले से लंबित कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकते थे एक खंड पीठ, प्रत्यर्थी सं। 1 डब्ल्यू. पी. होने के नाते एक रिट याचिका दायर की। (एस. बी.) नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सं. 259/2018।

24. दिनांक 21.8.2018 के विवादित आदेश द्वारा, जो अपील के तहत है, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और विवादित याचिका को खारिज कर दिया।

अध्यक्ष के दिनांक 1 दिनांकित आदेश में कहा गया है कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, अकेले बैठकर, खंड पीठ के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी पर Rs.25,000/का व्यय लगाया।

25. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश अपीलार्थी को दिए बिना पारित किया गया था सुननेक अवसर। अपीलार्थी द्वारा एम्स की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री राकेश थपलियाल को अधिकृत करते हुए कोई वकालतनामा निष्पादित नहीं किया गया था।

26. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि कैट के अध्यक्ष, अकेले बैठकर, खंड पीठ के समक्ष कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकते। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त अधिनियम की धारा 24 और धारा 25 के प्रावधान, धारा 5 (2), 5 (6) के साथ अधिनियम की प्रस्तावना के संयुक्त पठन से पता चलता है कि अकेले बैठे अध्यक्ष किसी भी अन्य पीठ के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा सकते हैं। ऐसी शक्ति अध्यक्ष को अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित धारा 5 (6) के तहत प्रदान की गई है।

27. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यह आवश्यक था

सभापति ओ. ए. नं. में कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश पारित करेंगे।

331/790/2017 कार्यवाही की बहुलता से बचने और न्यायिक एकरूपता के लिए नैनीताल में पीठ के समक्ष लंबित, विशेष रूप से, क्योंकि प्रधान पीठ के समक्ष 2016 के ओ. ए. No.1342 में और ओ. ए. नं.

331/790/2017 नैनीताल की बेंच में भी ऐसा ही था। वर्ष 2015-2016 के ए. पी. ए. आर. से संबंधित दोनों आवेदनों की विषय वस्तु।

28. अपने निवेदन के समर्थन में, कि कैट के अध्यक्ष ने अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थानांतरण के लिए एक आवेदन पर विचार करते हुए,

नैनीताल न्यायपीठ के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की शक्ति, जिसमें से

वकील ने डॉ. महाबल राम बनाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य 1 और कुमार बनाम भारतीय संघ का हवाला देते हुए स्थानांतरण की मांग की थी।

29. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित वकील नं। 1 इस दलील का खंडन किया कि अपीलार्थी को उच्च न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया था, यह तर्क देते हुए कि अपीलार्थी का विधिवत प्रतिनिधित्व भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री राकेश थपलियाल ने किया था। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार रिट याचिका की एक अग्रिम प्रति अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री राकेश को भी दी गई थी

थपलियाल। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ सरकारी वकील उच्च न्यायालय के साथ-साथ कैट की नैनीताल पीठ में भारत सरकार और एम्स दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जहां भारत सरकार और एम्स ने संयुक्त रूप से भारत सरकार के वकील के माध्यम से जवाब दायर किया था। 30. प्रत्यर्थी नं. की ओर से उपस्थित वकील। 1 जोर देकर तर्क दिया कि कैट के अध्यक्ष के पास अधिनियम के तहत अकेले बैठने की कोई शक्ति नहीं थी

एक खंड पीठ के समक्ष आंशिक सुनवाई वाले मामले में कार्यवाही पर रोक लगाएँ

31. प्रत्यर्थी के वकील नं। 1 आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश के अनुसार 2017 का ओ. ए. No.331/790 दायर किया था। उत्तरदाता नं। 1 , 2017 का डब्ल्यू. पी. एस. बी. No.225 है। का आदेश

इस प्रकार, सभापति ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश का उल्लंघन किया।

32. प्रत्यर्थी की ओर से पेश वकील नं. 1 यह भी प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 24 के तहत, एक एकतरफा अंतरिम आदेश की अधिकतम अवधि दो सप्ताह हो सकती है और वह भी कुछ शर्तों के अधीन,

1 (1994) 2 एस. सी. सी. 401

2 (1997) 3 एससीसी 261 [2019] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

33. प्रत्यर्थी के वकील नं। 1 ओ. ए. सं. 331/790/2017 में कार्रवाई का कारण कार्रवाई के कारण से अलग था। ओए सं. 1342/2016। वर्ष 2015-16 के लिए प्रतिकूल APAR के संचार ने कार्रवाई के एक नए कारण को जन्म दिया। जब तक चुनौती नहीं दी जाती, तब तक ए. पी. ए. आर. से प्रतिवादी नं. 1 ,

जैसे, पदोन्नति से इनकार।

34. प्रत्यर्थी के वकील नं। 1 प्रस्तुत किया कि ओ. ए. सं. 1342/2016 और ओ. ए. सं. 331/790/2017 पूरी तरह से दो के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए अलग-अलग आदेश और, किसी भी मामले में, इस मुद्दे पर कि क्या दोनों कार्यवाहियों में कार्रवाई के कारण की समानता थी, द्वारा निपटा गया था

नैनीताल बेंच। नैनीताल पीठ के निष्कर्ष को अपीलार्थी द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी और इसे अंतिम रूप दिया गया था। 35. रामरामेश्वरी देवी और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए। वी. निर्मला देवी और Ors.[3], प्रत्यर्थी के वकील नं। 1 प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी पर उचित रूप से जुर्माना लगाया था, क्योंकि अपीलार्थी ने एक एकतरफा आदेश प्राप्त किया था

किशोरभाई गंडुभाई पेथानी बनाम का हवाला देते हुए तथ्यों को छिपाना। गुजरात राज्य और Anr.4, किशोर समरिते बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और Ors.5 और प्रेस्टीज लाइट्स लिमिटेड बनाम। भारतीय स्टेट बैंक। 37. यह विवाद में नहीं है कि इस न्यायालय में चुनौती के तहत विवादित आदेश में अतिरिक्त न्यायाधीश श्री राकेश थपलियाल की उपस्थिति दर्ज की गई है।

एम्स की ओर से सॉलिसिटर जनरल भी। उपस्थिति की गलत रिकॉर्डिंग, या एम्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अधिकार के संबंध में किसी भी आपत्ति का उच्च न्यायालय के समक्ष उचित अनुरोध करके आग्रह किया जाना चाहिए था।

3 3 (2011) 8 एससीसी 249 4 (2014) 13 एस. सी. सी. 539

5 (2013) 2 एस. सी. सी. 398

6 (2007) 8 एस. सी. सी. 449 अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान v. संजीव चतुर्वेदी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

आवेदन। उसी कार्यवाही में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की उपस्थिति पर आपत्ति, प्रथम दृष्टया बेतुकी है, यह देखते हुए कि एम्स पूरी तरह से खाली है। केंद्र सरकार का नियंत्रण। हालाँकि, यह जाँच करना इस न्यायालय का काम नहीं है कि क्या भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को एम्स की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए अधिकृत किया गया था या नहीं।

नहीं। 38. मुन्ना लाल करोसिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य और एसोसिएशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर मामले में इस न्यायालय के निर्णय

उद्योग बनाम अपोलो टायर्स लिमिटेड और अन्य, अपीलार्थी द्वारा यह तर्क देने के लिए उद्धृत किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई आवेदन नहीं है, क्योंकि अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा किया गया था।

निर्णय उन मामलों के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में दिए गए थे।

39. मुन्ना लाल करोसिया (उपरोक्त) मामले में, उच्च न्यायालय ने मुन्ना लाल करोसिया को सुने बिना अवमानना का दोषी ठहराया था। वह इसमें था

उपरोक्त संदर्भ कि इस न्यायालय ने कलंकित के पारित होने की निंदा की उस व्यक्ति को अवसर दिए बिना किसी व्यक्ति के खिलाफ आदेश

सुनना। अवमानना का आदेश कलंकित हो सकता है। अपील के तहत आदेश ऐसा नहीं है। लागत का अधिरोपण एक आदेश को कलंकित करता है, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया जाना चाहिए।

40. इस न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह है कि क्या न्यायाधिकरण का अध्यक्ष अकेले बैठता है और धारा 25 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है।

अधिनियम की कार्यवाही को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने के लिए, दो सदस्यीय पीठ के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा सकते थे और उस पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को निष्क्रिय कर सकते थे। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर इसके बाद चर्चा किए गए कारणों के लिए नकारात्मक होना चाहिए।

41. यह अधिनियम अनुच्छेद 323 ए के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है, जिसे संविधान (42 वें) द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया है।

संशोधन) अधिनियम, 1976, जो संसद को सार्वजनिक रूप से व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय और/या परीक्षण का प्रावधान करने के लिए कानून बनाने में सक्षम बनाता है।

7 (2012) 12 एससीसी 255 8 (2010) 13 एस. सी. सी. 735 [2019] 1 एस. सी. आर.

अन्य बातों के साथ-साथ भारत संघ और उसके नियंत्रण में अधिकारियों के संबंध में सेवाएँ और पद।

42. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने वट्टीचेरुकुरु ग्राम पंचायत बनाम. नोरी वेंकटरामा दीक्षितुलु और ओआरएस "। , द.

संसद ने अनुच्छेद 323 ए को इस कारण से अधिनियमित किया है कि दीवानी अदालतें, जो दलीलों के नियमों और साक्ष्य के सख्त नियमों और विलंबित मुकदमे, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत चार स्तरीय अपीलों, अंतहीन संशोधनों और समीक्षाओं से ग्रसित हैं, सेवाओं से संबंधित मुकदमेबाजी के त्वरित वितरण की आवश्यकता के अनुकूल नहीं हैं।

43. कैट की स्थापना अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई है और अधिनियम की धारा 14 में निर्धारित अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकरण का प्रयोग करती है। 44. अधिनियम की धारा 14 (3) के साथ पठित धारा 14 (1) के तहत, कैट सभी न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी अधिकार क्षेत्र प्राधिकरण और शक्तियों का प्रयोग करता है।

के तहत एक न्यायाधिकरण की स्थापना से पहले सर्वोच्च न्यायालय

एक्ट करें।

संविधान, ऐसे न्यायाधिकरण, सामान्य विधि न्यायालयों की तरह, उस कानून के तहत निर्धारित साक्ष्य और प्रक्रिया के नियमों और/या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों से बंधे होते हैं और उनसे कानून के अनुसार सख्ती से उनके सामने लाए गए कानूनों का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है। 46. अधिनियम की प्रस्तावना में अधिनियम का उद्देश्य बताया गया है, जो प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय या परीक्षण के लिए प्रावधान करना है।

संघ या किसी राज्य या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के मामलों के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवाद और शिकायतें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 ए के अनुसरण में और मामलों के लिए भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम के लिए

इसके साथ जुड़ा हुआ या प्रासंगिक है।

47. अपीलार्थी के वकील द्वारा अधिनियम की प्रस्तावना के प्रति निर्देश की कोई प्रासंगिकता नहीं है। प्रत्यर्थी नं. 1 के पास पहुँचा

उसकी शिकायतों के निवारण के लिए न्यायाधिकरण। उनके मामले की सुनवाई एक प्रभाग द्वारा की गई थी।

एच और एक तर्कपूर्ण अंतरिम आदेश 18.9.2017 पर पारित किया गया। प्रस्तावना में कहा गया है कि अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों से याचिकाकर्ता को कोई सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि यह अपीलार्थी के इस तर्क का समर्थन नहीं करता है कि अकेले बैठे न्यायाधिकरण का व्यक्ति आगे रोक लगा सकता था।एक डिवीजन बेंच के सामने संपादन। काउंसल ई-प्रस्तावना द्वारा रखी गई निर्भरता गलत है।

48. अधिनियम की धारा 5,24 और 25 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

5. न्यायाधिकरणों और उनकी पीठों की संरचना। — (1) प्रत्येक न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और इतनी संख्या में

उपयुक्त न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य

सरकार अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए उचित समझ सकती है।

इस अधिनियम की अधिकारिता, शक्तियाँ और प्राधिकरण

न्यायाधिकरण का प्रयोग उसकी पीठों द्वारा किया जा सकता है। (2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक पीठ

इसमें एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होता है। सदस्य।

सभापति (क) न्यायपालिका के कार्यों का निर्वहन करने के अलावा

पीठ का सदस्य या प्रशासनिक सदस्य जिसके लिए

वह नियुक्त किया जाता है, न्यायिक कार्यों का निर्वहन करता है

सदस्य या, जैसा भी मामला हो, प्रशासनिक सदस्य,

(ख) एक सदस्य को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर सकता है; (ग) न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक को अधिकृत कर सकता है।

एक पीठ में नियुक्त सदस्य को भी निर्वहन करने के लिए

न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक के कार्य

यथास्थिति, किसी अन्य पीठ का सदस्य; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई भी मामला या मामले, जो शामिल प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उनकी राय में या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत, निम्नलिखित द्वारा तय किए जाने की आवश्यकता या आवश्यकता है -

दो से अधिक सदस्यों से बनी पीठ इस तरह का आदेश जारी करती है - सामान्य या विशेष आदेश, जो वह उचित समझे:

बशर्ते कि इस खंड के अनुसरण में गठित प्रत्येक पीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य शामिल होगा।

(6) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अध्यक्ष या इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य सदस्य के लिए यह सक्षम होगा कि वह एकल सदस्य वाली पीठ के रूप में कार्य करे और अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकरण का प्रयोग करे।

न्यायाधिकरण के मामलों के ऐसे वर्गों या मामलों के ऐसे वर्गों से संबंधित ऐसे मामलों के संबंध में जो अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करेः

बशर्ते कि यदि ऐसे किसी मामले या मामले की सुनवाई के किसी भी चरण में अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को यह प्रतीत होता है कि मामला या मामला ऐसी प्रकृति का है कि इसकी सुनवाई दो सदस्यों वाली पीठ द्वारा की जानी चाहिए, तो मामला या मामला अध्यक्ष द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है या, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसी पीठ में स्थानांतरित करने के लिए भेजा जा सकता है जिसे अध्यक्ष उचित समझे।

(7) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पीठें आम तौर पर नई दिल्ली में बैठेंगी (जिसे प्रमुख पीठ के रूप में जाना जाएगा)।

इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास, न्यू बॉम्बे और ऐसे अन्य स्थानों पर जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

(8) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, वे स्थान जिन पर किसी राज्य की प्रधान पीठ और अन्य पीठें हैं।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण आम तौर पर वैसा ही होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

XXX

XXX

XXX

XXX

24. अंतरिम आदेश देने की शर्तें। इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी आवेदन पर या उससे संबंधित किसी भी कार्यवाही में कोई अंतरिम आदेश (चाहे वह निषेधाज्ञा या रोक के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से) नहीं किया जाएगा।

जब तक कि -

(क) ऐसे आवेदन और समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतियां।

इस तरह के अंतरिम आदेश के लिए याचिका पक्ष को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज V.

संजीव चतुर्वेदी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

जिनके विरुद्ध ऐसा आवेदन किया जाता है या प्रस्तावित किया जाता है

बनाया गया; और

(ख) ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का अवसर दिया जाता हैः

बशर्ते कि एक न्यायाधिकरण खंड (ए) और (बी) की आवश्यकताओं को समाप्त कर सकता है और एक अपवाद के रूप में एक अंतरिम आदेश दे सकता है

यदि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से यह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक को होने वाले किसी भी नुकसान को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, जिसकी पर्याप्त रूप से प्रतिपूर्ति धन के रूप में नहीं की जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी अंतरिम आदेश, यदि इसे जल्द ही खाली नहीं किया जाता है, तो यह उस तारीख से चौदह दिनों की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा जब तक कि उक्त आवश्यकताओं का उस अवधि की समाप्ति से पहले पालन नहीं किया गया हो और न्यायाधिकरण ने अंतरिम आदेश का संचालन जारी रखा हो।

25. एक पीठ से मामलों को स्थानांतरित करने की सभापति की शक्ति किसी और के लिए। - किसी भी पक्ष के आवेदन पर और पक्षकारों को नोटिस देने के बाद, और उनमें से ऐसी बातों को सुनने के बाद जो वह सुनना चाहते हैं, या बिना ऐसी सूचना के अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, अध्यक्ष एक पीठ के समक्ष लंबित किसी भी मामले को निपटान के लिए किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित कर सकता है।

49. धारा 5 में प्रावधान है कि एक न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और इतनी संख्या में न्यायिक और प्रशासनिक सदस्य होते हैं जो उपयुक्त सरकार उचित समझे और इसके अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए -

न्यायाधिकरण के अधिनियम, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और अधिकार का प्रयोग उसकी पीठों द्वारा किया जा सकता है। उप-धारा 2 में प्रावधान है कि एक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होना चाहिए। हालाँकि, यह उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन है।

50. न्यायाधिकरण का अध्यक्ष न्यायाधिकरण से अलग एक इकाई है और प्रशासनिक शक्तियों और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करता है जैसे - अधिनियम के तहत उन्हें स्पष्ट रूप से सम्मानित किया जाता है। अधिनियम की धारा 5 (4) (ए) अध्यक्ष को निम्नलिखित कार्यों के अतिरिक्त निर्वहन करने का अधिकार देती है -

न्यायिक सदस्य या उस न्यायपीठ का प्रशासनिक सदस्य, जिसमें वह नियुक्त किया जाता है, न्यायिक सदस्य या किसी अन्य न्यायपीठ के प्रशासनिक सदस्य के कार्य।

51. धारा 5 (4) (बी) अध्यक्ष को एक सदस्य को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने का अधिकार देती है, और धारा 5 (4) (सी) को सक्षम बनाती है - न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य [2019] 1 एस. सी. आर. को अधिकृत करने के लिए सभापति।

किसी अन्य पीठ के न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने के लिए, जैसा भी मामला हो। सभापति सामान्य या विशेष आदेश जारी करके शामिल मामलों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दो से अधिक सदस्यों की पीठों का गठन भी कर सकता है।

52. धारा 5 (6) अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य सदस्य को एकल पीठ के रूप में कार्य करने और अभ्यास करने में सक्षम बनाती है।

ऐसे वर्गों के संबंध में न्यायाधिकरण की अधिकारिता, शक्तियाँ और प्राधिकरण

मामलों के ऐसे वर्गों से संबंधित मामलों या ऐसे मामलों के बारे में जो अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

53. अधिनियम की धारा 5 (सी) के प्रावधान में कहा गया है कि यदि ऐसे किसी मामले या मामले की सुनवाई के किसी भी चरण में यह अध्यक्ष को दिखाई देता है

या एकल रूप से कार्य करने वाला सदस्य कि मामला या मामला ऐसी प्रकृति का है कि इसकी सुनवाई दो सदस्यों वाली पीठ द्वारा की जानी चाहिए, मामला या मामला अध्यक्ष द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, या उसे ऐसी पीठ में स्थानांतरित करने के लिए भेजा जा सकता है जिसे अध्यक्ष उचित समझे। 54. धारा 5 के अवलोकन से संकेत मिलता है कि अध्यक्ष को किसी सदस्य को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करके, न्यायिक सदस्य या एक पीठ में नियुक्त प्रशासनिक सदस्य को न्यायिक सदस्य या दूसरी पीठ के प्रशासनिक सदस्य के कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत करके, पीठों के गठन के प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार है।

55. धारा 5 की उप-धारा (6) अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य सदस्य को अकेले बैठने का अधिकार देती है।

न्यायाधिकरण की अधिकारिता, शक्तियाँ और अधिकार केवल ऐसे वर्गों के मामलों या ऐसे वर्गों के मामलों से संबंधित मामलों के संबंध में हैं जो अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं। उपरोक्त प्रावधान अध्यक्ष को अकेले बैठकर एक बड़ी पीठ द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने में सक्षम नहीं बनाता है।

56. अधिनियम की धारा 24 अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति को सीमित करती है, चाहे वह निषेधाज्ञा, रोक या अन्यथा शर्तों को लागू करके हो। ऐसी शक्ति के प्रयोग पर। कोई अंतरिम आदेश तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि अंतरिम आदेश के लिए याचिका के समर्थन में दस्तावेजों के साथ आवेदन की प्रतियां उस पक्ष को प्रस्तुत नहीं की जाती हैं जिसके खिलाफ ऐसा आवेदन किया जाता है और ऐसे पक्ष को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।

57. उपरोक्त शर्त को केवल इन शर्तों के साथ ही समाप्त किया जा सकता है

असाधारण मामले, यदि न्यायाधिकरण का समाधान हो जाता है, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, कि आवेदक को किसी भी नुकसान को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है जिसकी पर्याप्त रूप से धन में भरपाई नहीं की जा सकती है। ऐसे मामले में अंतरिम आदेश अधिकतम चौदह दिनों की अवधि का होना चाहिए, जब तक कि चौदह दिनों की समाप्ति से पहले उप-धारा (ए) और (बी) की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है और अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया जाता है।

58. अधिनियम की धारा 25 के तहत मामलों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित करने की शक्ति अनिवार्य रूप से एक प्रशासनिक शक्ति है।

सी. ए. टी. के अध्यक्ष। ऐसी शक्ति का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या पक्षकारों को नोटिस देने के बाद किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और उनके बारे में सुनने के बाद किया जाना है, जो वह सुनना चाहता है। सभापति, अपने प्रस्ताव पर, एक पीठ के समक्ष लंबित किसी भी मामले को बिना किसी सूचना के दूसरे पीठ को स्थानांतरित कर सकता है। 59. अधिनियम की धारा 25 को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्यक्ष इस प्रश्न का निर्णय करते हैं कि क्या कोई मामला होना चाहिए

एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित किए जाने पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती। कार्यवाहियों में, वे ऐसी अंतरिम रोक पारित करने के लिए उक्त धारा के तहत अध्यक्ष को प्रदत्त कोई शक्ति नहीं हैं।

60. धारा 24 के तहत अंतरिम आदेश देने की शक्ति दी गई है।

न्यायाधिकरण और/या दूसरे शब्दों में, न्यायाधिकरण की एक पीठ को कार्यवाही के संबंध में प्रदान किया गया, जिसके संबंध में पीठ का अधिकार है -

न्यायाधिकरण की अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करना।

61. अधिनियम के तहत बनाया गया एक न्यायाधिकरण और इसके अध्यक्ष भी अधिनियम से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं और केवल ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो हैं:

अधिनियम द्वारा प्रदत्त। न्यायाधिकरण का अध्यक्ष अधिनियम की धारा 25 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण के रूप में कार्य नहीं करता है। इस प्रस्ताव को कि अंतरिम राहत देने की शक्ति स्पष्ट रूप से क़ानून द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, मॉर्गन स्टेनली म्यूचुअल फंड बनाम कार्तिक दास मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से समर्थन मिलता है। द.

कैट के अध्यक्ष के पास धारा 25 के तहत न्यायाधिकरण की पीठ के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति नहीं है।

62. अधिनियम के प्रावधानों और विशेष रूप से धारा 14 और 15 को संविधान के अनुच्छेद 323 ए के साथ सावधानीपूर्वक पढ़ना।

संविधान इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण

संविधान के अनुच्छेद 323 ए को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम के तहत गठित अधिनियम अधिनियम के प्रारंभ से पहले सभी न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी अधिकारिता शक्तियों और प्राधिकरण का प्रयोग करता है और इसमें न्यायालय के सभी गुण होते हैं, सिवाय इसके कि यह सिविल प्रक्रिया संहिता में सन्निहित प्रक्रिया के सख्त नियमों या संविधान के सख्त नियमों से बाध्य नहीं है।

साक्ष्य अधिनियम द्वारा निर्धारित साक्ष्य, जैसा कि ऊपर देखा गया है। न्यायिक औचित्य और न्यायिक अनुशासन के सभी मानदंड न्यायाधिकरण पर उतने ही लागू होते हैं

उच्च न्यायालय सहित न्यायालयों के बारे में। 63. न्यायाधिकरण द्वारा पारित न्यायिक आदेश सभी संबंधित लोगों के लिए बाध्यकारी है, जिसमें स्वयं न्यायाधिकरण अपने प्रशासनिक पक्ष में भी शामिल है, जब तक कि इसे दरकिनार नहीं किया जाता है या

अपीलीय या पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोग में एक उच्च मंच द्वारा संशोधित। किसी भी परिस्थिति में, न्यायाधिकरण की पीठ के न्यायिक आदेश को उसके अध्यक्ष द्वारा रद्द या निरर्थक नहीं ठहराया जा सकता है।

64. अधिनियम की धारा 12 को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण का अध्यक्ष केवल पीठों पर वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है

जो नियमों के तहत निहित हो सकता है। अध्यक्ष इस प्रकार पीठों का गठन कर सकता है, सदस्यों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर सकता है, एकल पीठों, खंड पीठों और इससे भी बड़ी पीठों का गठन कर सकता है, पीठों को कार्य आवंटित कर सकता है और यहां तक कि मामलों को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के बाद वह पीठों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है या स्थानांतरण याचिका में अंतरिम आदेश पारित करके उसके आदेशों में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है।

65. किसी भी मामले में, न्यायिक शिष्टाचार और औचित्य की मांग है कि एक न्यायिक आदेश, अंतरिम, अंतरिम या अंतिम को खाली किया जाए, परिवर्तित किया जाए, संशोधित किया जाए, वापस लिया जाए या समन्वित शक्ति या अधिक संख्या वाली पीठ द्वारा समीक्षा की जाए।

या एक उच्च मंच, लेकिन कम संख्या वाली एक छोटी पीठ नहीं, सिवाय उन मामलों के जहां एक निचले मंच और/या छोटी पीठ को ऐसा अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है या आदेश में निहित है जिसे खाली करने, परिवर्तित करने, संशोधित करने, वापस लेने या समीक्षा करने की मांग की गई है।

66. भारत संघ और ए. एन. आर. बनाम के. एस. सुब्रमण्यम ", उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के लिए उचित मार्ग यह था कि इस न्यायालय की बड़ी पीठों द्वारा व्यक्त की गई राय का पता लगाने और उसका पालन करने का प्रयास किया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय और वह प्रथा थी जिसका पालन स्वयं सर्वोच्च न्यायालय को भी करना था। यह प्रथा अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून के नियम में परिवर्तित हो गई है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत

पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भारत

1 1 (1976) 3 एस. सी. सी. 677 अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान v. संजीव चतुर्वेदी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

श्रमिक संघ और अन्य "। . उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ को बाध्य करेगा और न्यायिक अनुशासन उन्हें इसका पालन करने के लिए बाध्य करता है, भले ही इसकी शुद्धता के बारे में उनके संदेह हों।

67. यह सच है कि किसी न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश एक पूर्ववर्ती के रूप में काम नहीं करता है और उच्चतम न्यायालय द्वारा बड़ी पीठों के निर्णयों के पूर्ववर्ती मूल्य के संबंध में घोषित कानून

ताकत तथ्यों में एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में काम नहीं कर सकती है और

इस मामले की परिस्थितियाँ। पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्दिष्ट निर्णय न्यायिक शिष्टाचार और औचित्य के मानदंडों को निर्धारित करते हैं जो उच्च शक्ति वाली पीठों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि वही सिद्धांत लंबित कार्यवाही में अंतरिम आदेशों पर भी लागू नहीं होने चाहिए।

68. एक अदालत द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश, एक आवेदक द्वारा बनाए गए प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करने पर, आम तौर पर आवेदक को खुला नोटिस देने के बाद समन्वय शक्ति की पीठ द्वारा खाली किया जाना चाहिए था। यदि सभापति की यह सुविचारित राय थी कि अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए आवेदन में तात्कालिकता थी, तो सभापति

अंतरिम आदेश को खाली करने और/या हटाने के लिए आवेदन को दो या दो से अधिक सदस्यों की पीठ को इस बात पर विचार करने के लिए सौंपा जाना चाहिए था कि क्या अंतरिम आदेश जारी रहना चाहिए या खाली किया जाना चाहिए। सभापति बिना पूर्व सूचना के स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही को दूसरी पीठ को हस्तांतरित करने की अपनी शक्ति का भी प्रयोग कर सकता था। कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश नैनीताल न्यायपीठ के समक्ष अधिकारिता के बिना और कानून में अस्थिर है।

69. न तो एल. चंद्र कुमार (ऊपर) में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय और न ही खंड पीठ का निर्णय।

डॉ. महाबल राम बनाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य मामले में इस न्यायालय का एक प्राधिकरण इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि कैट के अध्यक्ष, अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए अकेले बैठकर, दो सदस्यीय पीठ के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा सकते हैं या दो सदस्यीय पीठ के आदेशों में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

70. अपीलार्थी की ओर से उद्धृत एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) मामले में, उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने कहा कि

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में निहित न्यायिक समीक्षा की शक्ति

1 2 12 (2001) 4 एस. सी. सी 448 [2019] 1 एस. सी. आर.

और उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता थी जो इसकी मूल संरचना का हिस्सा थी। इसलिए, आम तौर पर, विधानों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कभी भी समाप्त या बहिष्कृत नहीं किया जा सकता था। अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर न्यायिक पर्यवेक्षण का प्रयोग करने की उच्च न्यायालय में निहित शक्ति भी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा थी। इसके अलावा, एल. चंद्र कुमार (उपर्युक्त) मामले में, इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 5 (6) के अधिकारों को बरकरार रखते हुए कहा कि धारा 5 (6) धारा 5 (6) के परंतुक को देखते हुए धारा 5 (2) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से काम कर सकती है। इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि न्यायाधिकरण उन मामलों की सुनवाई करने के लिए भी सक्षम हैं जहां वैधानिक प्रावधानों की शक्तियों पर सवाल उठाए जाते हैं, सिवाय इसके कि जहां उनके मूल क़ानून की शक्तियों पर सवाल उठाया जाता है, इस तय किए गए सिद्धांत का पालन करते हुए कि एक न्यायाधिकरण जो एक क़ानून का निर्माता है, उस क़ानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। ऐसे मामलों में ही सीधे उच्च न्यायालय का रुख किया जा सकता है। हालांकि, वैधानिक प्रावधानों के अधिकारों को तय करने के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, न्यायाधिकरण उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के विकल्प के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। उनका कार्य पूरक है और न्यायाधिकरणों के ऐसे सभी निर्णय संबंधित उच्च न्यायालयों की खंड पीठ के समक्ष जांच के अधीन होंगे।

71. एल. चंद्र कुमार (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब भी कोई प्रश्न किसी वैधानिक प्रावधान या नियम की व्याख्या से संबंधित हो

प्रशासनिक न्यायाधिकरण की एकल पीठ के विचार के लिए उत्पन्न संविधान के संबंध में, धारा 5 (6) का प्रावधान स्वचालित रूप से लागू होगा और अध्यक्ष या संबंधित सदस्य

कम से कम दो सदस्यों वाली पीठ को मामला भेजने के लिए बाध्य होगा, जिनमें से एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वैधानिक प्रावधानों या नियमों की शक्तियों से जुड़े प्रश्न कभी भी एकल सदस्य पीठ या ऐसी पीठ के समक्ष निर्णय के लिए उत्पन्न नहीं होंगे जिसमें कोई न्यायिक सदस्य न हो। इस प्रकार, धारा 5 (6) अब असंवैधानिकता के आरोपों के लिए अतिसंवेदनशील नहीं होगी और इसलिए, वैध और संवैधानिक होगी।

72. डॉ. महाबल राम बनाम भारतीय कृषि परिषद

शोध और अन्य, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की उसी धारा 5 के अंगों के रूप में प्रकट होने वाली उप-धाराओं (2) और (6) का सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जाना चाहिए। एकल सदस्य को कार्य आवंटित करते समय,

(1994) 2 एस. सी. सी. 401 अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान v. संजीव चतुर्वेदी [इंदिरा बनर्जी, जे.]

चाहे उप-धारा (6) के संदर्भ में न्यायिक हो या प्रशासनिक, अध्यक्ष को मुकदमे की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए और जहां कानून के प्रश्न या संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या शामिल है, उन्हें किसी एक सदस्य को नहीं सौंपा जाना चाहिए। एकल सदस्य के समक्ष उपस्थित होने वाले किसी भी पक्ष के लिए यह खुला होगा कि वह मामले की सुनवाई करने वाले उस सदस्य को सुझाव दे कि उसे दो सदस्यों की पीठ के पास जाना चाहिए। सदस्य को आम तौर पर अनुरोध किए जाने पर मामले को दो सदस्यों की पीठ के पास जाने की अनुमति देनी चाहिए। हालाँकि, यह तर्क कि उप-धारा (6) के तहत विचार किए गए एकल सदस्य का अर्थ केवल एक न्यायिक सदस्य होना चाहिए, स्वीकार नहीं किया गया था। डॉ. महाबल राम (उपर्युक्त) में, सवाल यह था कि क्या धारा 5 (6) के तहत एकल सदस्य वाली पीठ को न्यायिक सदस्य वाली पीठ होना आवश्यक है।

73. हमारे सुविचारित विचार में, खंड पीठ ने रिट याचिका को सही मंजूरी दी। अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की तरह

या अधीनस्थ न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, प्रोटोकॉल के क्रम में उच्च हो सकते हैं और उनके पास अतिरिक्त प्रशासनिक कर्तव्य और जिम्मेदारियां हो सकती हैं। हालांकि, अध्यक्ष, न्यायिक रूप से कार्य करते हुए, किसी भी अन्य सदस्य के बराबर है। सभापति, समकक्षों में से एक होने के नाते, नहीं रह सकते थे वृहद न्यायपीठ के समक्ष लंबित कार्यवाही। हम उच्च न्यायालय के तर्क में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं। उच्च न्यायालय ने लागत के साथ रिट याचिका को सही मंजूरी दी। चूंकि हमने अपील के तहत उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश को बरकरार रखा है और यह अभिनिर्धारित किया है कि

कैट के अध्यक्ष का दो सदस्यीय पीठ के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था और कानून में अस्थिर था, हमें प्रतिवादी नं। 1 .

74. अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है, जिसकी मात्रा Rs.25,000/- है, जिसे उच्चतम न्यायालय की कानूनी सेवा समिति के पास जमा किया जाना है।

तारीख से चार सप्ताह।

याचिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन